

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापूर सिटी (राज.)
पीठासीन अधिकारी का नाम - श्री रवि वर्मा, आर०ए०एस०

मुकदमा नंबर	किरम मुकदमा	दर्ज दिनांक
08/21	एफएसएस एक्ट, 2006	19/03/2021

1. प्रेमचन्द्र जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु०वि० एवं स्वा० अधिकारी सवाई माधोपुर

-आवेदक

बनाम

1. ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, उम्र लगभग 64 वर्ष जाति महाजन (एबीओ व मालिक)- फर्म ओमप्रकाश स्वीट सेन्टर, प्राईवेट बस स्टैण्ड, गंगापूर सिटी निवासी कमला हॉस्पिटल के पीछे वैद्य कॉलोनी गंगापूर सिटी तहसील गंगापूर सिटी।
-अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 28 की उपधारा 2 (पप) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक- 12.06.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 28 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 12.11.2020 को थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली गंगापूर सिटी द्वारा दृग्गम्य पर की गयी सूचना के आधार पर लगभग 02.00 पी.एम. पर पुलिसथाना कोतवाली गंगापूर सिटी पहुँचा जहाँ थानाधिकारी ने आवेदक को एक तहरीर देकर बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिए मुद्द अभियान के दौरान आज दिनांक 12.11.2020 को सूचना मिलने पर कल्याण जी गेट के पास एक महिन्दा एक्सप्रेस नम्बर यूपी 80 सीडी 1990 गाड़ी में समय करीब 08.00 ए.एम. पर करीब 2-3 किबटल मावा पकड़ा जो संदिग्ध हो सकता है व गाड़ी के चालक गजेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी अशोक बिहार कॉलोनी गुरुद्वारा, धौलपुर व मावा मंगवाने वाले मावा डीलर राकेश पुत्र जगदीश, दिनेश पुत्र गोविन्द प्रसाद तीनों व्यक्तियों को मावा व गाड़ी सहित थाने पर डिटेन किया हुआ है. अतः मावे की जांच हेतु सैम्पल लिया जाये। इन तीनों व्यक्तियों ने बताया कि इनमें से एक डलिया मावा फर्म -ओमप्रकाश स्वीट सेन्टर, प्राईवेट बस स्टैण्ड का है तत्पश्चात् उसके मालिक को थाने पर बुलवाया गया। जिसने अपना नाम ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता उम्र लगभग 64 वर्ष जाति महाजन निवासी कमला हॉस्पिटल के पीछे वैद्य कॉलोनी गंगापूर सिटी बताया। ओमप्रकाश गुप्ता को आवेदक ने अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। अभियुक्त ओमप्रकाश गुप्ता से पूछने पर उसने एक पत्र आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नाम लिखकर दिया एवं बताया कि मैंने पुलिस अधिकारियों द्वारा पकड़ी गयी इस गाड़ी में एक डलिया लगभग 40 किलोग्राम मावा धौलपुर से निशु मावा भण्डार से मेरी दुकान फर्म ओमप्रकाश स्वीट सेन्टर प्राईवेट बस स्टैण्ड गंगापूर सिटी पर मिठाई बनाकर आम जनता को बेचने के लिए मंगवाया है। मेरे पास इस मावे का कोई खरीद बिल नहीं है। एफबीओ ओमप्रकाश गुप्ता की एक डलिया के खोया मावा का निरीक्षण करने पर उसमें मिलावट का शक होने पर मीके पर मौजूद विक्रेता व दुकान मालिक ओमप्रकाश गुप्ता से उक्त खाद्य पदार्थ खोया (मावा) में शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने को कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5 ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ पदार्थ खोया (मावा) शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने बाबत खरीदा जिसकी किमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 180/-रु० नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा नमूने की पूर्ण कार्यवाही कर फार्म नम्बर 8 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिससे नमूना सील किया एक नमूना भाग मय फार्म सं० 8 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं० 8 की अलग से सील्ड लिफाफे में गजानन्द लोधा बाई बॉय द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 13.11.2020 को मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो शीशी भाग मय फार्म सं० 8 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं० 8 की प्रति डी०ओ० कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी०ओ० एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक/एमएसएसए/2020/2135 दिनांक 17.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2012/एक्ट/2020/2004 दिनांक 26.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्तव

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापूर सिटी

नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ खोया (गावा) अवमानकर प्रकृति पाया गया। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 28 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है।

उक्त प्रकरण में मुख्य खाद्य विशालेशक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2012/एक्ट/2020/2004 दिनांक 26.11.2020 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 28 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तागण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय को समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तागण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तागण स्वयं उपस्थित। अभियुक्तागण ने अपना पत्र रखते हुए जवाब पेश किया जिसे शागिल गिराल किया गया।

अभियुक्तागण सं० 1 के अधिवक्ता ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि अभियुक्त ने कभी भी धौलपुर से कोई मावा नहीं मंगवाया। प्रार्थी को उक्त मावा बाबत पूछताछ के लिए पुलिस थाना गंगापुर सिटी में बुलवाया था एवं प्रार्थी के खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये जिसका दुरुपयोग किया गया है। प्रार्थी ने पुलिस थाना गंगापुर सिटी को स्पष्ट तौर से यह बता दिया गया था कि उक्त मावा व फर्म से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी आवेदक ने स्वयं अंकित किया है कि गाडी के चालक गजेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी अशोक बिहार कॉलोनी गुरुद्वारा, धौलपुर व मावा मंगवाने वाले मावा कीलर राकेश पुत्र जगदीश, दिनेश पुत्र गोविन्द प्रसाद तीनों व्यक्तियों को मावा व गाडी सहित थाने पर डिटैल किया हुआ है, जिससे ही स्पष्ट होता है कि उक्त गाडी में अभियुक्त को कोई मावा नहीं था। आवेदक एवं पुलिस द्वारा की गई समस्त कार्यवाही फर्जी व प्रार्थी को फसाने के लिए गलत कार्यवाही की गई है, साथ ही प्रकरण की कार्यवाही समाप्त करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली में संलग्न मुख्य खाद्य विशालेशक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2012/एक्ट/2020/2004 दिनांक 26.11.2020 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है, साथ ही पत्रावली में संलग्न अभियुक्त का स्वयं का प्रार्थना पत्र जिसमें प्रार्थी ने मावे से नमूना जांच कर शेष मावा वापस दिलवाने हेतु लिखा है तथा नमूना देने के बाद शेष मावा प्राप्त किया है, जिससे आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतीत होती है।

अभियुक्तागण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्तागण को 10,000 (दस हजार) ₹० की आर्थिक शारित से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तागण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शारित राशि 30 दिवस की अवधि में जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तागण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
आचार्य निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी